न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 50/2023

GCMS CASE NO-2023/50

1 रामप्रताप पुत्र श्री देवाराम जाति मेघवाल साकिन 24 एसडी तहसील सूरतगढ

अपीलांट

बनाम

1. राजरथान सरकार जरिये उप तहसीलदार राजियासर।

रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–

1. श्री शीशपाल शर्मा अपीलांट
2. राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व सूरतगढ रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांक : 25.07.2024

अपील मे सामान्य तथ्य यह है कि ये बानारागी आदेश उपतहसीलदार (राजस्व), राजियासर अन्तर्गत धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में पेश की गई। अपीलांट को चक 24 एसडी के प.न. 153/416 कि.न. 21/2 में 0.228, 22/2 में 0.228, 23/2 में 0.228, 24/2 में 0.228, कुल 0.912 है0 कमांड भूमि के बाबत् अपीलांट को बिना सुने मौका पर खडी फसल जब्त करने हेतु गिरदावर हल्का को आदेश दिये, का निर्णय खिलाफ कानून खिलाफ रिकार्ड मिसल व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।

गुणावगुण के आधार पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को चक 24 एसडी के प.न. 153/416 कि.न. 21/2 में 0.228, 22/2 में 0.228, 23/2 में 0.228, 24/2 में 0.228, कुल 0.912 है0 कमांड भूमि के बाबत् अपीलांट को बिना सुने मौका पर खडी फसल जब्त करने हेतु गिरदावर हल्का को आदेश दिये, का निर्णय खिलाफ कानून खिलाफ रिकार्ड मिसल व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है। अपीलांट को चक 24 एसडी के प.न. 153/416 के कि.न. 16/0.051,17/0.051, 18/0.051,19/0.051,20/0.051, 21/2में 0. 228, 22/2 में 0.228, 23/2 में [illegible] 0.228 है0 कुल 1.395 है0 कमांड रकबा आवंटन नियम 1975 के नियम [illegible] डियम पेच में दिनांक 19.01. 2016 को आवंटन हो गया था। जि[illegible] बाद अपीलांट के नाम पट्टा जारी हो गया तथा राजस्व रिकार्ड में उक्त रकबा [illegible] कार्यवाही [illegible] तत्पश्चात हरबंस कौर ने श्रीमान र[illegible]गानगर के समक्ष ए[illegible] संख्या 45/2016 हरबंश कौर बनाम रामप्रताप पेश हुई जो दिनांक दिनांक 16.06.2016 को स्वीकार होने पर इस निर्णय के खिलाफ अपीलांट ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी संख्या 5044/16 रामप्रताप बनाम हरबंश कौर पेश की जो आज भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:03:03 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व मण्डल में जैरकार है। रकबा राजस्व रिकार्ड में अराजीराज ही दर्ज चला आ रहा है। रकबा अपीलांट के पिता का सन 1983 से नाजायज कब्जा काश्त मे था तथा अपीलांट के पिता के फौत होने के बाद उक्त रकबा पर अपीलांट का कब्जा काश्त था अपीलांट का इस चक 24 एसडी के प.न. 152/421, 152/422, 153/422, के 5.213 है0 में 1/24 हिस्सा खातेदारी है तथा चक 24 एसडी के प.न. 152/416 के कि.न. 16 ता 25 का रकबा अराजीराज दर्ज था जो मीडियम पेच का टुकडा था जिस पर अपीलांट का का पैतृक कब्जा काश्त था जिसको अपीलांट कब्जा नियमन में आवंटन करवाने का हकदार था। अपीलांट ने इस रकबा बाबत् 195555/— रूप्ये जमा करवाए हुए है। इस प्रकार अपीलांट इस रकबा का कब्जा साधिकार रखने का अधिकारी है। अतः नायब तहसीलदार राजियासर द्वारा पत्रावली संख्या 03/2023 में पारित निर्णय दिनांक 2.3.2023 निरस्त योग्य है।

पैरोकार राज ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर नाजायज काश्त की गई है। रकबा राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज है। अपीलांट द्वारा अपने पक्ष में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य/सबूत पेश नही किया जिससे जैर प्रकरण भूमि पर उसका हक/हकूक साबित हो सके अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण ही जैर अपील आदेश पारित किया गया है, की गई समस्त कार्यवाही नियमानुसार है। अपीलांट अतिक्रमी साबित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर निर्णय दिनांक 02.03.2023 यथावत रखा जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई मातहत अदालत का रिकार्ड शामिल पत्रावली हो चुका है। रिकार्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी से प्राप्त होने पर अपीलांट को नोटिस अन्तर्गत धारा 22 विधिवत रूप से जारी किया गया व अपीलांट को विधिवत रूप से तामील हुआ है। नोटिस में अपीलांटस को अवसर दिया गया कि वें अतिक्रमित भूमि खाली कर देवें। बाद नोटिस तामील होने के उपरांत भी अतिक्रमी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण नहीं हटाया उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया है। प्रकरण अपर न्यायालयों में विचाराधीन होने के कारण इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है अतः अपील सारहीन होने से अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 02.03.2023 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जावें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावें। पत्रावली मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़
सूरतगढ़ (जिला—श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:03:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner